


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

आदेश

निम्नलिखित व्याख्याता स्कूल शिक्षा की उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान से वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	कार्मिक का नाम मय वर्तमान पदस्थापन	व्या. विषय	अवधि	स्थान जहां से वेतन आहरित किया जाना है।
1	सुमन जैन, राबाउमावि, रेजीडेंसी, उदयपुर	संगीत	जनवरी 2016 से मार्च 2016	राबाउमावि, रेजीडेंसी, उदयपुर से व्याख्याता गणित पद के विरुद्ध उक्त अवधि में रिक्त होने की स्थिति में।
2	धर्मीवजी रानी, राबाउमावि, श्रीपुरा, कोटा	सिन्धी	जुलाई, 2015 से अगस्त 2015	राबाउमावि, श्रीपुरा, कोटा से व्याख्याता सिन्धी के रिक्त पद से।


उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया है तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।


संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक - 13-4-11

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/सी- 5/वेतन व्यवस्था/2016/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संबंधित उपनिदेशक (माध्य)
2. संबंधित जि.शि.अ. (माध्य)
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट
6. गार्ड फंजिका


संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर